दिनांक 09.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 09/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की पुलिस महानिदेशक एन0आई0ए0 से शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 09.05.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में **श्री सदानन्द दाते** पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन0आई0ए0) नई दिल्ली द्वारा शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी गयी तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किये गये।

भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस और एन0आई0ए0 के मध्य बेहतर समन्वय, आतंकवाद विरोधी उपायों एवं उनके संगठनो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के साथ–साथ अन्वेषण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना चिल्हिया

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 08/09.05.2024 की रात्रि में थाना चिल्हिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेपाल से पकड़ीहवा के रास्ते ग्राम चेतरा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रमजान उर्फ बन्नर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सिद्धार्थनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 36 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्हिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रमजान उर्फ बन्नर निवासी बेलसड़ डिहवा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सारनाथ

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 20 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.05.2024 को थाना सारनाथ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फरीदपुर अण्डरपास के पास से 05 अभियुक्तों 1–जितेन्द्र कुमार 2–राजेश्वर 3–रवि 4–हरेन्द्र 5–रंजन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 20 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सारनाथ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर व कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त रंजन के विरूद्ध जनपद बलिया, गाजीपुर, कमिश्नेरट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र कुमार निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना बिहार।

2–राजेश्वर निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना बिहार।

3–रवि निवासी बख्तियारपुर थाना बख्तियारपुर जनपद पटना बिहार।

4–हरेन्द्र निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना बिहार।

5–रंजन निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना बिहार।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 20 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 मोटर साइकिल।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना मिर्जापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–रामासरे को धारा 302/34/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–फूलसिंह 3–रामकिशोर उर्फ घुम्मन 4–ब्रजपाल को धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्कर, 02.700 किग्रा0 अफीम के साथ गिरफ्तार ।

दिनांक 09-05-2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यो को 02.700 किग्रा0 अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 42 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1-रईस अहमद पुत्र मो0 सफी, निवासी ग्राम मझगवां, थाना विशारतगंज, जनपद बरेली ।

2-संजय कश्यप पुत्र देवीदास, निवासी ग्राम मझगवां, थाना विशारतगंज, जनपद बरेली ।

3- विकास कुमार भुईयां पुत्र रामवृक्ष भुईयां, निवासी ग्राम बीघा, पोस्ट देहर, थाना चौपारन, जनपद हजारीबाग, झारखण्ड ।

बरामदगीः–

1- 02.700 किग्रा0 अवैध मादक पदार्थ अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 42 लाख रूपये)

2- 03 अदद मोबाईल फोन ।

3- 3800/– रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–

गन्ना मिल नेकपुर बरेली बदायूं रोड, थाना सुभाष नगर जनपद बरेली। दिनांक–09-05-2024 समय–10-00 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में उ0नि0 राशिद अली के नेतृत्व में मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल, मु0आ0 संदीप कुमार, मु0आ0 शिवओम पाठक, आ0 संजय

यादव, मु0आ0 कमाण्डो विनोद कुमार यादव व चालक मु0आ0 मनोज कुमार अवस्थी एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि गन्ना मिल नेकपुर बरेली बदायूं रोड थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली मार्ग पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 व्यक्ति आने वाले है, जिनके पास भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ होने की सम्भावना है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर, गन्ना मिल नेकपुर बरेली बदायूं रोड थाना सुभाष नगर जनपद बरेली पहुॅचकर मुखबिर की निषादेही पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त रईस अहमद उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह यह अफीम रंजीत दांगी निवासी ग्राम देहर पोस्ट देहर, थाना चौपारन, जनपद हजारीबाग, झारखण्ड से मंगवाता है तथा अच्छे दामों पर बरेली व आस–पास के जनपदों में बिक्री कर देता है, जिससे इसे मोटा मुनाफा होता है, इसके इस कार्य में संजय कष्यप व विकास कुमार भी शामिल है। इन तीनों की आय का यही साधन है।

गिरफ्तार अभियुक्त रईस अहमद, संजय कश्यप व विकास कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0–156 /2024 , धारा– 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली द्वारा की जायेगी

––––––